

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 12 अप्रैल, 2021

विषय:- कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत आई. एम. एस. बी. एच. यू. को कन्ज्यूमेबिल्स आदि जिसमें औषधि भी सम्मिलित हैं, हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-603/71-1-2021जी-13/2016टीसी2, दिनांक 11.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत आई. एम. एस. बी. एच. यू. को कन्ज्यूमेबिल्स आदि जिसमें औषधि भी सम्मिलित हैं, हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 5,00,00,000/- (रुपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुयी हो।

(2) जो भी मद/उपकरण क्रय किये जायें उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों जो किसी विशिष्ट एजेन्सी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सपटित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायें। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए०एम०सी०/सी०एम०सी० भी करायी जायेगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित

करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1- 11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:-826(1)/एक-10-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- मंडलायुक्त, वाराणसी।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ०प्र० शासन।
- 6- चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-1।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
- 8- वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।